भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 105

01.12.2025 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में पारिस्थितिक क्षरण, वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान

105. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले को कवर करने वाले पश्चिमी घाट क्षेत्र में पारिस्थितिक क्षरण, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान का कोई आकलन किया है;

(ख) तमिलनाडु, विशेष रूप से तिरुनेलवेली जिले में परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, हरित भारत मिशन और प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटित और संवितरित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय निगरानी को मजबूत करने, पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन को लागू करने और पश्चिमी घाट में वन और जलग्रहण क्षेत्रों की समयबद्ध बहाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित किए अनुसार, तिरुनेलवेली जिले को शामिल करने वाले पश्चिमी घाट क्षेत्र में पारिस्थितिक अवक्रमण, वनों की कटाई और जैव विविधता हानि का व्यापक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ख) तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और हरित भारत मिशन जैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत कोई धन आवंटन नहीं है। हालांकि, राज्य कांपा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वन विभागों को वर्षवार धन आवंटन प्राप्त हुआ:

खंड	***वर्ष***	***व्यय राशि (लाख रु. में)***
कलाकड़	2020-21	-
	2021-22	-
	2022-23	3.25
	2023-24	-
	2024-25	-

	कुल	3.25
अंबासमुद्रम	2020-21	-
	2021-22	-
	2022-23	1.190
	2023-24	-
	2024-25	-
	कुल	1.190

कांपा योजना के तहत वर्ष 2022-23 में, जल क्षेत्र की परिधि (5 हेक्टेयर) में फिकस प्रजातियों की रोपाई की गई और दोनों विभागों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

(ग) पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 31.07.2024 के का.आ. 3060 (अ) के अनुसार 56,825 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की है। इसमें से कुल 6914 वर्ग किलोमीटर (12.16%) क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में आता है, जिसमें तिरुनेलवेली जिले के पांच तालुके नामत: अंबासमुद्रम, नांगुनेरी, शेनकोट्टई, शिवगिरी और तेनकासी शामिल हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं, तथा क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आवश्यकताओं और विकास की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, संबंधित राज्य सरकारों के सुझावों की समग्र जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

इसके अलावा, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में वृक्षों की सुरक्षा और संरक्षण को विभिन्न नीतिगत और विधायी हस्तक्षेपों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। इनमें तमिलनाडु हिल एरिया (वृक्षों के संरक्षण) अधिनियम, 1955 के तहत हिल एरिया संरक्षण, तमिलनाडु नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1971 के तहत हिल एरिया संरक्षण प्राधिकरण, वन क्षेत्रों से सटे या उनके अंदर बसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को तमिलनाडु संरक्षण निजी वन अधिनियम, 1949 के तहत निजी वन के रूप में अधिसूचित करना शामिल है। इसके अलावा, कई संरक्षण पहलें भी पश्चिमी घाटों की सुरक्षा में योगदान देती हैं, जैसे बाघ परियोजना और हाथी परियोजना, अगस्त्यर्मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अवक्रमित वनों (आरडीएफ) के भूदृश्यों का पुनर्स्थापन, देशज घासों की पुनर्स्थापन के लिए चरागाह प्रबंधन योजना।

*****